

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(79)वित्त-1(1)आय.व्य/2017


जयपुर, दिनांक : 24 मई, 2018

—: आज्ञा :-

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ.6/लेखा/सीटीएडी/स्वीकृतियां/2013-14 स्वीकृति संख्या 01/2018-19 दिनांक 18.05.2018 राशि रू 770.00 लाख, स्वीकृति संख्या 02/2018-19 दिनांक 18.05.2018 राशि रू 320.00 लाख एवं स्वीकृति संख्या 03/2018-19 दिनांक 18.05.2018 राशि रू 438.00 लाख के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि रू. 1528.00 लाख (अक्षरे रुपये पन्द्रह करोड़ अट्ठाईस लाख) मात्र की सीमा तक के लिये मुख्य अभियंता (भवन एवं पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को निम्नांकित बजट शीर्षों से राशि आहरित कर व्यय करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	बजट शीर्ष	राशि रू. (लाखों में)
1.	मांग संख्या-30 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (20)-जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)	
	[02]-जनजाति छात्र/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण 17-वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)	770.00
2.	[32]-सड़क एवं पुलिया 17-वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)	438.00
3.	(22)-बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.) [02]-छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17-वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)	320.00
	योग	1528.00

इस शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय की सूचना प्रतिमाह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को उपलब्ध कराई जावेगी। इस शीर्ष के अन्तर्गत हाने वाले व्यय का अंकमिलान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सम्पादित किया जावेगा।




(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. मुख्य अभियंता (भवन एवं पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संबंधित लेखाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।(सार्वजनिक निर्माण विभाग)
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।



निदेशक, वित्त (बजट)